संख्या- 35 /2020/614/24-1-20-902(बजट)/2018

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2020**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बंधपत्रों के 25 प्रतिशत समतुल्य यू0पी0पी0सी0एल0 को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-391/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक/2019-20/374, दिनांक 25.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार की उदय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूतिके सापेक्ष स्वीकृत ब्याज रहित ऋण को अनुदान में परिवर्तित किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 4891,72,00,000/- (रूपये चार हजार आठ सौ इक्यानवे करोड़ बहत्तर लाख मात्र) को पुस्तक समायोजन के माध्यम द्वारा स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत का आहरण नकद न कर पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता-02-उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बंधपत्रों (2015-16 एवं 2016-17) के 25 प्रतिशत के समतुल्य यू0पी0पी0सी0एल0 को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान में परिवर्तित धनराशि को लेखाशीर्ष- "6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03-विद्युत वितरण कम्पनियों को उदय योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत बंधपत्रों से प्राप्त धनराशि के 25 प्रतिशत अंश के समतुल्य स्वीकृत ब्याज रहित ऋण की वापसी-01-पूर्व राज्य विद्युत परिषद को दिये गये ऋण की वसूली" के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 72 /दस-2020, दिनांक 30 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

संख्या- 35/2020/614(1)/24-1-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in